भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1350

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

बाल कल्याण समिति

1350. श्री सी. आर. पाटिल:
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:
श्री अनुराग शर्मा:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जारी की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी प्रयोजन क्या है;

(ख) मिशन वात्सल्य की निगरानी प्रणाली में क्या-क्या मुद्दे शामिल हैं और निगरानी किस प्रकार की जाती है;

(ग) नवसारी, बालासोर और झांसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति (सीडब्ल्यू एंड पीसी) द्वारा कितने बच्चों की पहचान की गई है और उक्त योजना के अंतर्गत उन्हें कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(घ) कितने बच्चों को वित्तीय सहायता दी गई है और 18 वर्ष की आयु पूरी करके बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले बच्चों को कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है; और

(ङ) बाल कल्याण समितियों के गठन के लिए राज्यों को कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) और (ख): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए संस्थागत देखभाल और गैर-संस्थागत देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्व-निर्धारित लागत साझेदारी के आधार पर केंद्र प्रायोजित स्कीम अर्थात् 'मिशन वात्सल्य' (पूर्ववर्ती बाल संरक्षण सेवा स्कीम) को भी कार्यान्वित कर रहा है। सरकार देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को उनके पुनर्वास और समाज की मुख्यधारा में सामाजिक पुन:एकीकरण के लिए वैधानिक और सेवा प्रदायगी ढांचों का सुरक्षा जाल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मिशन वात्सल्य स्कीम के तहत स्थापित बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) अन्य बातों के साथ-साथ आयु-अनुकूल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श आदि में सहयोग करते हैं। गैर-संस्थागत देखभाल के तहत देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों को प्रायोजन, फॉस्टर केयर और आफ्टर केयर के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जाता है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में यथा संशोधित) (धारा 27-30) के तहत, बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) को देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के संबंध में उनके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। उन्हें सीसीआई के कामकाज की निगरानी करने का भी अधिदेश दिया गया है। इसी प्रकार, किशोर न्याय बोर्डों को कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के कल्याण के लिए निर्णय लेने का अधिकार है (धारा 04-09)। जेजे अधिनियम, 2015 (धारा 109) में इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए क्रमशः राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) का प्रावधान किया गया है।

जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 54 के तहत, राज्य सरकारों को अपने मानकों को बनाए रखने के लिए निरीक्षण समितियों की नियुक्ति करनी होगी और धारा 53 के तहत संस्थान की बुनियादी सुविधाओं और इस बुनियादी ढांचे का आकलन करना होगा। जेजे अधिनियम, 2015 (2021 में यथा संशोधित) के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेटों को देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए जिले में नोडल प्राधिकारी के रूप में सशक्त बनाया गया है।

मंत्रालय नियमित रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) जेजे अधिनियम, 2015 प्रावधानों के अनुसार देखभाल के मानकों का पालन करते हैं। सभी सीसीआई के अनिवार्य निरीक्षण के संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न एडवाइजरी भेजी गई हैं।

विगत वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मिशन वात्सल्य स्कीम के तहत जारी निधियों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग): मिशन वात्सल्य स्कीम के अनुसार, इस मिशन में की गई व्यवस्था के अनुसार के तहत प्रदान किए गए प्रायोजन और फॉस्टर केयर कार्यक्रम को कार्यान्वित करने और निगरानी करने के लिए प्रत्येक जिले में एक प्रायोजन और पालन-पोषण देखभाल अनुमोदन समिति (एसएफसीएसी) है। यह समिति प्रत्येक जिले में सीडब्ल्यूसी से सिफारिश प्राप्त होने पर प्रायोजन को मंजूरी देने के लिए उत्तरदायी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, मिशन वात्सल्य स्कीम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रायोजन सहित गैर-संस्थागत देखभाल के तहत कुल 62,675 बच्चों को सहायता प्रदान की गई है। तथापि, प्रायोजन के निर्वाचन क्षेत्र-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ): मिशन वात्सल्य स्कीम में गैर-संस्थागत देखभाल के निम्नलिखित तरीकों के माध्यम से बच्चों का सहयोग किया जाता है:

i. **प्रायोजन:** विस्तारित परिवारों/जैविक रिश्तेदारों के साथ रहने वाले कमजोर बच्चों को उनकी शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों में सहयोग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
ii. **फॉस्टर केयर:** बच्चे की देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास की जिम्मेदारी एक असंबद्ध परिवार द्वारा ली जाती है। बच्चे के पालन-पोषण के लिए जैविक रूप से असंबद्ध पालक माता-पिता को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
iii. **दत्तकग्रहण:** गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र पाए गए बच्चों के लिए परिवार ढूंढना। केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) दत्तकग्रहण कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाता है।
iv. **आफ्टर केयर:** 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर बाल देखभाल संस्थान छोड़ रहे बच्चों के समाज की मुख्यधारा में पुन:एकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस तरह की

सहायता 18 वर्ष से 21 वर्ष की आयु तक दी जाती है, जिसे 23 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है ताकि उसे आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल सके।

जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 2(5) और धारा 46 के माध्यम से बच्चों की देखभाल के लिए प्रावधान किया गया है, जिसमें अठारह वर्ष की आयु पूरी करने पर बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले किसी भी बच्चे के किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 (2022 में यथा संशोधित) के नियम 25 में निर्धारित तरीके से समाज की मुख्यधारा में पुन:एकीकरण को सुगम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का अधिदेश दिया गया है। जेजे मॉडल नियम, 2016 (2022 में यथा संशोधित) के नियम 79(9) के अनुसार, यदि अठारह वर्ष से अधिक उम्र की लड़की को बाल देखभाल संस्थान से मुक्त कर दिया जाता है और उसके पास जाने के लिए कोई अन्य स्थान नहीं है, तो उसे कामकाजी महिला छात्रावासों, या इसी प्रकार की अन्य सरकारी सुविधाओं में, उसके द्वारा कोई अन्य उपयुक्त व्यवस्था नहीं कर लिए जाने तक, आवास प्रदान किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, मिशन वात्सल्य स्कीम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आफ्टरकेयर सहित गैर-संस्थागत देखभाल के तहत कुल 62,675 बच्चों को सहायता प्रदान की गई है।

(ङ): मिशन वात्सल्य स्कीम के तहत, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 88476.04 लाख रुपये की निधियां जारी की गई हैं जिसमें बाल कल्याण समितियों की स्थापना के लिए निधियां भी शामिल हैं।

*****

अनुलग्नक-I

बाल कल्याण समिति के संबंध में श्री सी.आर. पाटिल, श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी और श्री अनुराग शर्मा द्वारा दिनांक 09.02.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1350 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

विगत वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान मिशन वात्सल्य स्कीम के तहत जारी निधियों की राज्यवार स्थिति

(लाख रुपये)

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**वि.व. 2022-23 के दौरान जारी की गई राशि**
1	आंध्र प्रदेश	3677.98
2	अरुणाचल प्रदेश	2936.49
3	असम	3734.67
4	बिहार	3454.25
5	छत्तीसगढ़	765.05
6	गोवा	5.77
7	गुजरात	2329.53
8	हरियाणा	2938.82
9	हिमाचल प्रदेश	3091.73
10	जम्मू एवं कश्मीर	2822.85
11	झारखंड	743.48
12	कर्नाटक	5856.93
13	केरल	1284.89
14	मध्य प्रदेश	4690.78
15	महाराष्ट्र	7132.66
16	मणिपुर	4826.75
17	मेघालय	333.07
18	मिजोरम	1503.31
19	नागालैंड	2630.86
20	ओडिशा	3755.49
21	पंजाब	1069.08
22	राजस्थान	6600.22
23	सिक्किम	1047.25
24	तमिलनाडु	5102.93
25	तेलंगाना	2824.95
26	त्रिपुरा	159.54
27	उत्तर प्रदेश	6604.67
28	उत्तराखंड	365.91
29	पश्चिम बंगाल	2663.81
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	374.79
31	चंडीगढ़	523.78
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	389.90
33	दिल्ली	1506.95
34	लक्षद्वीप	0

35	लद्दाख	142.44
36	पुदुच्चेरी	584.46
योग		**88476.04**

*****